न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)
PH:-01420-228487 E-Mail:-sdo-ban-dau-rj@nic.in

प्रकरण संख्या :—36 / 2024
प्रकरण दायर दिनांकः— 15.03.2024
प्रकरण निर्णय दिनांकः— 08.04.2024

**राजस्व ग्राम नॉगलझामरवाडा स्थित खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बाबत।**

**निर्णय दिनांकः—08.04.2024**

तहसीलदार बॉदीकुई के पत्र कमांकः राजस्व / 2024 / 238 दिनांकः 14.03.2024 द्वारा राजस्व ग्राम नॉगलझामरवाडा स्थित खातेदारी भूमि खसरा नं. 655 एवं 656 में से प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गै. मु. रास्ता दर्ज करने बाबत प्रस्ताव पेश किया गया है। प्रस्ताव की ताईद में भू.अ. निरीक्षक बिवाई एवं पटवारी हल्का नॉगलझामरवाडा मौका पर्चा दिनांकः 11.03.24, राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2073—76 ग्राम नॉगलझामरवाडा खाता सं. नया 35 पुराना 35, संलग्न नक्शा ट्रेस जिसमें प्रस्तावित रास्ते को प्रदर्शित किया गया है, प्रस्तुत की है। उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में खातेदारी दर्ज रिकार्ड है।

प्राप्त प्रस्ताव दर्ज कर तलबी अप्रार्थीगण / खातेदारान जर्ये नोटिस विधिवत की गई। अप्रार्थीगण / खातेदारान बावजूद जर्ये नोटिस तामील उपस्थित नहीं। हमने प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रार्थी / पैरोकार सरकार को एकपक्षीय सुना। तहसीलदार बॉदीकुई द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं संलग्न भू.अ. निरीक्षक बिवाई एवं पटवारी हल्का नॉगलझामरवाडा मौका पर्चा दिनांकः 11.03.24, राजस्व रिकार्ड जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया। प्रस्ताव में संलग्न मौका पर्चा के अनुसार राजस्व ग्राम नॉगलझामरवाडा स्थित भूमि खसरा नं. 655 एवं 656 मौके पर उक्त दोनो खसरा नंबर रास्ते के काम आ रहे हैं। दोनो खसरा नंबर पर सडक बनी हुई है जो खदाना से नॉगलझामरवाडा को जा रही है। प्रस्ताव में उक्त खातेदारी भूमि में से गै. मु. रास्ता दर्ज करने बाबत निवेदन किया है। अतः प्राप्त प्रस्ताव, संलग्न राजस्व रिकार्ड जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस के अवलोकन के आधार पर प्रस्तावित रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार बॉदीकुई द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर राजस्व ग्राम नॉगलझामरवाडा स्थित खातेदारी भूमि खाता सं. नया 35 पुराना 35 के खसरा नं. 655 रकबा 0.04 हैक्ट. में से 0.04 हैक्ट. एवं खसरा नं. 656 रकबा 0.05 हैक्ट. में से 0.05 हैक्ट. भूमि संलग्न नक्शा ट्रेस में प्रदर्शित प्रस्तावित के अनुसार गै. मु. रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रस्तावित रास्ते की खातेदारी उक्त खाते में यथावत रहेगी। तहसीलदार बॉदीकुई नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। पालना हेतु तहसीलदार बॉदीकुई को तहरीर जारी हो। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2025.04.30 16:05:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

ा.मु.अ.33 4-2000-10 लाख फा.

2024/120

# FORM No. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

APP
Crll

जज अदालत ........ कलेक्टर ........ मुकाम बांदीकुई

सरकार ........ बनाम ........

किस्म मुकदमा ........ नं० 86 सन् 2024

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 15/3/24 | तहसीलदार बांदीकुई द्वारा मौके पर चालू रास्ते को राजस्व रिकार्ड में कायम करने हेतु प्रस्ताव पेश किया गया। प्रस्ताव/प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी ग्रामी/खातेदारान जर्ये नोटिस की जावे पत्रावली दि० 8/5/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई | |
| 8/5/24 | पत्रावली पेश हुई। ग्रामी पैरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थीगण/खातेदारान तलबी नोटिस बाद तामील प्राप्त। खातेदारान उपस्थित नहीं। प्रस्तुत प्रस्ताव पर ग्रामी/पैरोकार सरकार को सुना। तहसीलदार बांदीकुई द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। मुताबिक मौका रिपोर्ट प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू है परन्तु राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अतः तहसीलदार बांदीकुई द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं संलग्न दस्तावेजातों के अवलोकन के आधार पर प्रस्तावित रास्ते का राजस्व रिकार्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रस्तावित रास्ते [illegible] यथावत रहेगी। प्रस्तुत [illegible] शामिल पत्रावली [illegible] तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुदा होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) 8/5/24 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2025.04.30 16:05:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner